अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

नाम :– सुपाय बारी
पिता :– स्व. गोपाल बारी
मौजा :– पासुडेडा

वाद संख्या :– 7/प्र.सा.दि./2022-23

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
6/5/22	आज दिनांक 6/5/22 को आवेदक सुपाय बारी, पिता– स्व. गोपाल बारी, ग्राम– पासुडेडा के द्वारा मौजा पासुडेडा थाना सं०– 127, खाता सं०– 212, प्लॉट सं०– 2827, रकवा– 0.13 डि. किस्म जमीन गोड़ा ३ में विवाद के संबंध में विवादित जमीन पर चारदीवारी संबंधी आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 24/5/22 तक करें। अभिलेख दिनांक– 20/5/22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी तांतनगर।	
20/5/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, ~~एवं~~ अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के मद्देनजर अभिलेख त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम एवं द्वितीय के पश्चात पुनः ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल	

निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 15/6/22 को उपस्थापित करें।

15/6/22 अभिलेख उपस्थापित!

ग्रामीण मुण्डा राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो इस प्रकार है -

(i) मौजा-पारुडेड़ा खाता 9 - 197 खाता 212 प्लॉट 1827 कुल रकबा - 0.13 ए० किस्म जमीन गोड़ा दो है। खतियान में मानकी हो तथा सुखाम हो पिता नवरु है अंश में तथा नवरा तथा कन्हर हो पिता गोपाल हो एवं अन्य का नाम दर्ज है। प्लॉट 1827 संयुक्त खतियान था।

(ii) मौजा-पारुडेड़ा खाता 212 का प्लॉट 1827 विवादित प्लॉट है आवेदक सुखाम वादी के द्वारा शिकायत की गई उक्त प्लॉट विवादित है जिसका कोई हल नहीं निकला है उसके बावजूद परवा वादी, पिता-स्व० दुती वादी के द्वारा उक्त प्लॉट पर घर बनाया जा रहा है। ~~राजस्व~~

~~राजस्व~~ राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तत्पश्चात इलाका मानकी एवं दोनों पक्ष को दिनांक 29/6/22 को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 29/6/22 को उपस्थापित करें।

29/6/22 अभिलेख उपस्थापित।

~~इ~~ इलाका मानकी एवं दोनों पक्ष उपस्थित हुए सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई प्रथम पक्ष द्वारा बयान किया गया कि प्लॉट 1827

संयुक्त रस्ता ~~काले~~ वाला प्लॉट है जिसमें मेरा भी हिस्सेदारी है को वांरवया को लेकर उक्त प्लॉट पर विवाद है फिर भी परवाना वादी के द्वारा घर बनाया जा रहा है। इस पर परवाना वादी को आदेश दिया गया कि जबतक उक्त भूमि का कोई हल नहीं निकलता है तब तक निर्माण ना करे अन्यथा उनपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी इस पर भी परवाना वादी द्वारा घर नहीं बनाने की बात स्वीकार की गई और दोनो को पहचान ~~मापन~~ कराने का निर्देश दिया जिसपर दोनो सहमत हो गये तत्पश्चात अंचल अमीन को आदेश दी गई कि सरजमी पर जाकर दोनो पक्षो प्लॉट का सीमाना दिखना है एवं दिनांक 20/7/22 तक अंचल अमीन का प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सूचित की गई।

अभिलेख दिनांक 20/7/22 को उपस्थापित करें।

20/7/22 अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग ~~देने~~ किया गया।

अभिलेख दिनांक 17/8/22 को उपस्थापित करें।

17/8/22 अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमिन का जाँच प्रतिवेदन अब भी अप्राप्त है उनसे पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। एवं दिनांक 7/9/22 को अंचल अमीन के प्रतिवेदन के साथ इलाका मालगी और दोनो पक्षो को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 7/9/22 को उपस्थापित करें।

7/9/22 अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, इलाका मालदी और दोनों पक्ष भी उपस्थित हुए सर्वप्रथम अंचल अमीन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया अंचल अमीन के द्वारा दिनांक को राजस्व उपनिरीक्षक के साथ स्थलजमीन पर जा कर इलाका मालदी एवं दोनों पक्षों के समक्ष खाता 1827 की पहचान की गई एवं दोनों पक्ष को अपने-अपने सीमाना दिखा दी गई जिस पर दोनों पक्ष ने संतुष्टि जाहिर की। तत्पश्चात दोनों पक्ष से बारी-बारी से बयान ली गई बयान में दोनों ही पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति जाहिर नहीं की गई। अतः दोनों पक्ष के बयानों के अवलोकन के पश्चात दोनों को किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना करने का निर्देश देते हुए शांति पूर्वक स्थल कायम करने की आदेश दी गई।

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.04 16:48:52 +05:30
Location: 192.168.158.171